पत्रांक....239...../उपा0 को0

बिहार सरकार,

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,

(आपदा प्रबंधन विभाग)

द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001

प्रेषक,

व्यास जी,

उपाध्यक्ष

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी बिहार

–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

पटना, दिनांक-23-05/2017

विषयः– जिला स्तर पर बाढ़ सुरक्षा सप्ताह दिनांक 1–7 जून तक मनाए जाने के संबंध में।

महाशय,

अवगत हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 125/आ0प्र0 दिनांक 13.01.2012 के आलोक में प्रत्येक वर्ष दिनांक 1–7 जून तक पूरे राज्य में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। संकल्प के अनुसार बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाने हेतु आवश्यक राशि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी जिलों को आवंटित किया जाना है तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है। इस संकल्प के अनुश्रवण में राज्य स्तर पर विभिन्न जिलों एवं हितधारकों के साथ बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाने के संबंध में विषद विमर्श किया गया है।

2. अवगत हैं कि राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण माने गये हैं। इन 28 जिलों में से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण की कोटि में हैं तथा शेष बाढ़ प्रवण की कोटि में आते हैं। परंतु विगत वर्षों में ऐसा देखा गया है कि उन जिलों में जिन्हें बाढ़ प्रवण नहीं माना जाता है, भी बाढ़ की विभीषिका से कुछ न कुछ तबाही हुई है। उदाहरण के लिए सोन नदी के कारण रोहतास, औरंगाबाद एवं अरवल जिले भी विगत वर्षों में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसी प्रकार नवादा एवं कैमूर के कतिपय हिस्सों में स्थानीय नदियों में पानी बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। गत वर्ष फल्गु नदी में काफी पानी आने के कारण तथा वर्षापात के फलस्वरूप बाढ़ की स्थिति गया जिले में भी बनी थी। यहाँ तक कि गया जिले के शहरी हिस्से में भी बाढ़ का प्रकोप हुआ था। मुंगेर को बाढ़ प्रवण नहीं माना जाता परंतु पिछले वर्षों मुंगेर जिला भी बाढ़ प्रभावित के रूप में चिन्हित हो गया है। पिछले वर्ष 2016 में बाढ़ से राज्य के 31 जिले प्रभावित हुए। इस परिस्थिति में राज्य के सभी जिलों में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

3. बाढ़ सुरक्षा सप्ताह में जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित करने पर विचार किया जा सकता हैः–

(क) आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया गठित किया है। इस मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों को बाढ़ पूर्व तैयारियाँ करनी है। बाढ़ सुरक्षा सप्ताह में जिला पदाधिकारी के स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुला कर सभी विभागों की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की जा

सकती है तथा समीक्षा के आलोक में सप्ताह के अन्तर्गत कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है।

(ख) बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि बाढ़ राहत केन्द्रों, ऊँचे स्थानों तथा संवेदनशील समूहों की पहचान कर ली जाए। ऐसा देखा गया है कि इनकी पहचान नहीं होने से योजनाबद्ध तरीके से बाढ़ से निपटने में कठिनाईयाँ होती हैं। अतएव इस सप्ताह का उपयोग कर बाढ़ राहत केन्द्रों, ऊँचे स्थानों एवं संवेदनशील समूहों की पहचान कर ली जाए। जिला पदाधिकारी संबंधित के साथ इसकी समीक्षा बैठक भी रख सकते हैं।

(ग) ऐसा देखा गया है कि जिला प्रशासन के जो पदाधिकारी/कर्मी बाढ़ राहत कार्यों में संलग्न किये जाते हैं उनमें से अधिकांश को मानक संचालन प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। मानक संचालन प्रक्रिया की पुस्तिका आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी जिलों को प्रेषित की जाती रही है तथा मानक संचालन प्रक्रिया विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। अतएव जिस प्रकार आम चुनाव के समय पदाधिकारी/कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाता है उसी तर्ज पर जिला के सभी पदाधिकारी/कर्मियों को मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बाढ़ की पूर्व तैयारी, बाढ़ के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं एवं बाढ़ के उपरान्त किये जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(ध) बाढ़ के दौरान तटबंधों के भीतर रहने वाले नागरिकों को सबसे ज्यादा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतएव यदि तटबंधों के भीतर रहने वाले समुदाय को राहत एवं बचाव एवं उनके स्तर पर बाढ़ से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए तो बाढ़ से होने वाले क्षति को काफी हद तक काबू में किया जा सकता है। एन0डी0आ0एफ0 एवं एस0डी0आर0एफ0 के द्वारा तटबंधों के भीतर बसने वाले नागरिकों के बीच सामुदायिक जन–जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जिलों में किया जाना है। एन0डी0आ0एफ0 एवं एस0डी0आर0एफ0 की कौन सी टीमें किन जिलों में जाएँगी, इसकी जानकारी एन0डी0आ0एफ0/ एस0डी0आर0एफ0 से प्राप्त कर तटबंधों के भीतर रहने वाले लोगों के लिए जागरूकता के कार्यक्रम हेतु स्थलों का चयन कर लिया जाए तथा टीमों के ठहरने एवं वाहनों की व्यवस्था तद्नुसार करके उन्हें सूचित कर दिया जाए साथ ही इन कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग देने हेतु कार्मिकों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी जाए।

(च) जिन जिलों में नदियों पर तटबंध बने हुए हैं उन तटबंधों की सुरक्षा हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया गठित की गयी है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार तटबंधों की सुरक्षा के कार्यों की विस्तृत समीक्षा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में की जा सकती है, साथ ही स्थल निरीक्षण कर जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय कर तटबंधों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है।

(छ) बाढ़ के दौरान डूबने एवं नावों के पलटने की काफी घटनाएँ पिछले वर्षों में हुई थी। राज्य स्तर पर इन दोनों घटनाओं से निपटने हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्य योजना का सूत्रण किया जा रहा है। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि जिला स्तर से इन दोनों घटनाओं में कमी लाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम नदियों के आसपास रहने वाले व्यक्तियों के बीच किया जाए। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों की विशेष बैठकें कर उनके माध्यम से आमजनों को जागरूक किया जा सकता है। साथ ही जिन घाटों पर पूर्व में डूबने तथा नाव

दुर्घटनाएँ हुई हैं, उन घाटों पर फ्लैक्सी बोर्ड के माध्यम से बचाव संबंधी सूचनाओं का प्रदर्शन किया जा सकता है ताकि लोग सावधानियाँ बरत सकें। इसके अलावा अभियान चला कर परिवहन विभाग द्वारा निर्गत Modern Ferry Rules के अनुसार सभी नावों का निबंधन इस सप्ताह में किया जा सकता है। नाव में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में नाविकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा सकती है।

(ज) इस सप्ताह जिला के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम के रूप में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएँ जैसे–पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंधन एवं नारा लेखन प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं क्विज प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जा सकता है साथ ही विद्यालयों द्वारा बाढ़ के संबंध में जागरूकता रैली निकाली जा सकती है।

(झ) आज के युग में Print & Electronic Media जन–जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अतएव इनका उपयोग कर बाढ़ की स्थिति में क्या करे, क्या न करें का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जा सकता है। साथ ही प्राधिकरण द्वारा बाढ़ के संबंध में पूर्व प्रेषित सी0डी0 का प्रदर्शन सिनेमा हॉलों/प्राइवेट केबुल ऑपरेटरों के माध्यम से स्थानीय टी0 वी0 कार्यक्रमों में कराया जा सकता है। बाढ़ सुरक्षा संबंधी प्रचार सामग्री की सॉफ्ट कॉपी इस पत्र के साथ संलग्न है।

(ट) बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाते समय सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं सिविल डिफेन्स, रेडक्रॉस, स्काउट एवं गाईड, एन0एस0एस0 एवं एन0सी0सी0 जैसी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है।

(ठ) सार्वजनिक स्थलों पर बाढ़ सुरक्षा के संबंध में पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग आदि लगवाई जा सकती है तथा मुद्रित पर्चा भी बांटा जा सकता है।

4. उपरोक्त कार्यक्रम मात्र उदाहरण स्वरूप हैं । जिला अपनी स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए अन्य कई तरह का आयोजन कर सकते हैं। कार्यक्रमों के लिए राशि की व्यवस्था हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध किया जा रहा है।

5. आशा है कि सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बाढ़ सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिलों में किये गये कार्यक्रमों का प्रतिवेदन (फोटो, विडियो, प्रेस कटिंग, केस स्टडी आदि) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 30 जून,2017 तक भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि इसे माननीय मुख्य मंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अभिज्ञान में लाया जा सके।

विश्वास भाजन,

(व्यास जी)

ज्ञापांक 239 /उपा० को० पटना, दिनांक- 23-05-2017

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि वे अपने स्तर से आवश्यक मार्गदर्शन अपने प्रमंडल के सभी जिलों को प्रदान करेंगे तथा बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रमों का अनुश्रवण भी अपने स्तर से करेंगे।

(व्यास जी)

ज्ञापांक 239 /उपा० को० पटना, दिनांक 23-05-2017

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि बाढ़ सुरक्षा सप्ताह हेतु जिलों को आवश्यक निधि का आवंटन करने की कृपा करें।

(व्यास जी)

ज्ञापांक 239 /उपा० को० पटना, दिनांक 23-05-2017

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी)

ज्ञापांक 239 /उपा० को० पटना, दिनांक 23-05-2017

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ,बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)

ज्ञापांक 239 /उपा० को० पटना, दिनांक 23-05-2017

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)

ज्ञापांक 239 /उपा० को० पटना, दिनांक 23-05-2017

प्रतिलिपिः माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)